न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी– गोपाललाल स्वर्णकार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं0 1/19 दायर दिनांक 15.04.2019 फैसल दिनांक 10.07.2019

1. श्री जगन्नाथ पिता श्री शम्भु कुमावत निवासी जाजली तहसील अरनोद
2. श्री जमनालाल पिता श्री शम्भु कुमावत निवासी जाजली तहसील अरनोद
3. श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री जमनालाल कुमावत निवासी जाजली तहसील अरनोद
4. श्री दशरथ पिता श्री जमनालाल कुमावत निवासी जाजली तहसील अरनोद
5. श्री समरथ पिता श्री जमनालाल कुमावत निवासी जाजली तहसील अरनोद

– अपीलान्ट्स

बनाम

श्री कन्हैयालाल पिता श्री हीरालाल कुमावत निवासी जाजली तहसील अरनोद

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार अरनोद प्रकरण क्रमांक 1/17 निर्णय 18.06.2018

उपस्थितः–श्री विमल कुमार मोदी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स

निर्णय दिनांक 10.07.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने तहसीलदार अरनोद के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खाते की आराजीयात का रास्ता अपीलान्ट की आराजी नम्बर 1042/558 में होकर रास्ता हैं। जिसे विपक्षी अपीलान्ट ने रोका है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय से विपक्षीगण की ओर से जवाब पेश किया गया व जवाब में दर्शाया गया कि रास्ता खुलवाने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाहक तहसीलदार ने बिना अधिकार के व बिना नियमानुसार सुनवाई के ही एकतरफा निर्णय कर अपीलान्ट नम्बर 1 के खातेदारी की आराजी नम्बर 1042/558 में से निकलने वाले कदीमी रास्ते को खुलताया जाकर कृषि उपकरण व कृषि वाहन इत्यादि निकल सके ऐसा रास्ता चौडा करवाया जाकर मौके पर रास्ते के निशानात कायम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

करवाया जावे और विपक्षीगणों को रास्ता न रोकने हेतु पाबन्द कराया जावे। इससे आहत होकर अपीलान्ट ने निम्न आधारों पर अपील पेश की हैं:—

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय नियम व कानुन के विरूद्व होने से निरस्त होने के योग्य हैं।
2. यह कि कानूनन कार्यवाहक तहसीलदार को प्रकरणों की सुनवाई कर निर्णय करने का अधिकार नही था इससे पुरी कार्यवाही ही क्षेत्राधिकार से बाहर होने से निरस्त योग्य हैं।
3. यह कि अपीलान्ट में अपने जवाब में स्पष्ट लिखा था कि कानूनन रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र पहले ग्राम पंचायत में पेश करना चाहिये था लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा पहले प्रार्थना पत्र एस.डी.एम. कोर्ट में पेश किया व उसके खारीज होने पर तहसील अरनोद में पेश किया। इससे भी कानुन के विरूद्व होने से क्षेत्राधिकार तहत खारीज होने योग्य हैं।
4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 02.05.2017 को रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश किया। उसके बाद उक्त पत्रावली में रीडर द्वारा प्रार्थी से मिलकर कार्यवाही कराता रहा। अपीलान्ट को कभी कोई भी पेशी की सूचना नही दी गई साथ ही तारीख पेशी पर भी काट छाट की। यह कि पत्रावली में अन्तिम प्रोसेडिंग तक एक ही स्याही से एक साथ जो प्रोसेडिंग लिखकर धोखे से क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय किया गया है, जिसके लिए प्रार्थी अपीलान्ट सक्षम स्थान पर अलग से फोजदारी कार्यवाही भी करेगा।
5. यह कि उक्त प्रकरण में निर्णय की अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जानकारी होने पर अपीलान्ट में दिनांक 06.07.2018 को प्रार्थना पत्र एकतरफा निर्णय निरस्त करने हेतु पेश कराया लेकिन अपीलान्ट को कभी कोई पेशी नही दी गई न ही सुनवाई की गई व बिना सुनवाई किए ही प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया। जिसकी जानकारी भी अपीलान्ट को दिनांक 07.03.2019 को हुई। जिस पर नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दिनांक 16.03.2019 को नकल प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होने से एक माह की अवधि के अन्दर यह अपील पेश है।

अतःअपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील भी रेस्पोडेन्ट के अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकतरफा कार्यावाही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

अमल में लाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस अपीलान्ट्स दिनांक 14.06.2019 मुकर्रर की गई। पत्रावली में दिनांक 03.07.2019 को बहस सुनी गई तथा पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10.07.2019 मुकर्रर की गई।

अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि पत्रावली में दिनांक 28.02.18 विपक्षीगण को अनुपस्थित बताया गया हैं किन्तु न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही नही की गई एवं दिनांक 09.07.2018 को कटिंग कर पत्रावली दिनांक 09.06.2018 को न्यायालय में वास्ते सुनवाई हेतु रखी गई। पत्रावली में दिनांक 27.03.2018 को विपक्षीगण की जिरह बन्द की गई किन्तु प्रोसेडिंग में कही भी विपक्षीगण को आवाज लगाना सम्बन्धित प्रासेडिंग नही लिखी गई हैं। चूंकि प्रकरण में निर्णय के समय तहसीलदार का पद रिक्त होकर नायब तहसीलदार कार्यवाहक तहसीलदार थे। अतः कार्यवाहक तहसीलदार उक्त तरह के न्यायालय के आदेश पारित करने हेतु सक्षम नहीं हैं। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अतः अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.06.2018 को अपास्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार अरनोद को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह दोनो पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
आर.ए.एस.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़ (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)